राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफ.20 (I–94)/ **IWMP**/निजभूस/2012–13/4685–58 दिनांकः 28/3/14

समस्त परियोजना प्रबन्धक (WCDC)
जिला परिषद................................।

विषयः– स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्ति द्वारा सीडमनी चुकौती राशि को पृथक नवीन बैंक खाते में जमा करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्ति को जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि को अधिकतम 18 माह में मासिक किस्त रूप में लौटाया जाने का प्रावधान है। उक्त किस्त की राशि जलग्रहण उप समिति स्तर पर किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में एक पृथक बैंक खाता (रिवोल्विंग फण्ड जलग्रहण उप समिति) खोल कर उसमें जमा करवाई जावे। उक्त खाते का संचालन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, जलग्रहण उप समिति के सचिव एवं विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जावेगा।

पूर्व में यदि किसी स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्ति द्वारा लौटायी गई राशि अन्य किसी खाते में जमा कराई हो तो उसे इस नवीन खाते में हस्तान्तरित कर ली जावे।

आई.डब्ल्यू.एम.पी. की जीविकोपार्जन गतिविधि में उपलब्ध राशि का पूर्ण उपयोग हो जाने के पश्चात् इस खाते में उपलब्ध राशि नियमानुसार स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्ति को रिवोलिगं फण्ड के रूप में हस्तान्तरित की जा सकेगी। इस खाते से उपलब्ध करवाई गयी राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र पीआईए/ परियोजना प्रबन्धक, (WCDC) को भिजवाने की आवश्यकता नहीं होगी। जलग्रहण क्षेत्र के परिवारो की आजीविका बढाने हेतु राशि का उपयोग पुनः रिवोल्विंग फण्ड उपलब्ध करवा कर किया जा सकेगा।

28.3.14
(एम.एस. काला)
निदेशक

एफ.20 (I–94)/ **IWMP**/निजभूस/2012–13/4605-58 दिनांकः 28/3/14

प्रतिलिपिः–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयुपर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एंव भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन, आई.डब्ल्यू.एम.पी.) निदेशालय जयपुर।
5. वित्तीय सलाहाकार, निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय, ज0ग्र0वि0एवं भू0संरक्षण,राज0,जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी, निदेशालय, ज0ग्र0वि0एवं भू0संरक्षण,राज0,जयपुर।
8. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

(वी.एल.मीणा)
अति0निदेशक– **IWMP**